राजस्थान सरकार

भू-प्रबन्ध विभाग एवं जागीर विभाग
राजस्थान, जयपुर

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2018-19

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

आमुख

राजस्व प्रशासन में भू-प्रबन्ध विभाग एवं भू-प्रबन्ध प्रषिक्षण संस्थान, जयपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के माध्यम से सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण एवं तरमीम सर्वेक्षण कर राज्य के भू-अभिलेख एवं राजस्व नक्षों को अद्यतन करने का कार्य किया जाता है। इस कार्य से विभिन्न राजकीय विभागों की भूमि आधारित विभिन्न योजनाओं यथा नहर, सड़क, पुल, रेल्वे लाईन, बांध आदि आधारभूत संरचनाओ के निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका रही है अपितु काष्तकारों की भूमि सम्बन्धी जटिल समस्याओं के निराकरण में भी भू-प्रबन्ध विभाग का सहयोग रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त भूमि-सीमांकन सम्बन्धी जटिल प्रकरणों में विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। विभाग के आधुनिकीकरण के क्रम में 4 वर्कस्टेशनों की स्थापना की जाकर उन में सम्पूर्ण राज्य के नक्षों की स्कैनिंग तथा स्केल परिवर्तन का कार्य किया गया था वर्तमान में आधुनिक तकनीक से सर्वेक्षण/अभिलेखन कार्य की जांच का कार्य विभाग की चारो वर्क स्टेशनों पर किया जा रहा है। विभाग के मुख्यालय पर स्थित भू-प्रबन्ध प्रषिक्षण संस्थान भी संचालित है, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार सेवा के अधिकारीगण एवं अमीन / पटवारियों को समय-समय पर प्रषिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य के कुल 11 जिलों एवं जिला अजमेर की 4 तहसीलों में सर्वेक्षण कार्य आधुनिक तकनीक सर्वेक्षण / अभिलेखन हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके है। सर्वे की कार्यवाही के तहत बाह्य एजेन्सियों द्वारा ग्राउण्ड कन्ट्रोल पाईन्ट (GCP) कायम किये जा चुके है।

मुझे आशा है कि भू-प्रबन्ध विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 समस्त सम्बन्धितों के लिए उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होगा।

(संजय मल्होत्रा)
प्रमुख शासन सचिव
राजस्व, विभाग, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

भू-प्रबन्ध विभाग

विभाग का संक्षिप्त नोट

प्रस्तावना :-

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की आबादी का बहुत बड़ा भाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित उद्योग-धन्धे रोजगार के महत्वपूर्ण साधन है। औद्योगिकरण, शहरीकरण की निरन्तर प्रवृति, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन भूमि हस्तान्तरण, पंजीयन, वित्तीयन एवं भूमि आधारित योजनाओं की क्रियान्विति के सन्दर्भ में भू-अभिलेखों का निरन्तर, सही आदिनांक होना नितान्त आवश्यक है। कृषकों का भूमि सम्बन्धी रिकार्ड सही तरीके से आदिनांक होना अत्यन्त आवश्यक है। भू-अभिलेखों का आदिनांक करने सम्बन्धी कार्य भू-अभिलेख विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है। विभाग द्वारा सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित भू-अभिलेख का कार्य समय-समय पर सम्पन्न कराया जाता रहा है। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भू-राजस्व राजकीय आय का कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है, फिर भी भूमि समस्त आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है।

विभाग का संगठन :-

भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर के विभागाध्यक्ष का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का है जिसका पदनाम भू-प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन निदेशक भूमि एकीकरण, राजस्थान, जयपुर के नाम से जाना जाता है। भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के अधीन क्षेत्र के लिए भू-प्रबन्ध आयुक्त पदेन निदेशक भू-अभिलेख है। भू-प्रबन्ध आयुक्त के अधीन कार्य के सफल संचालन के लिए एक पद अति0 भू-प्रबन्ध आयुक्त का है, इसी प्रकार वर्तमान में 11 भू-प्रबन्ध अधिकारी कार्यालय जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, टोंक, सीकर एवं कोटा मुख्यालय पर कार्यरत है। भू-प्रबन्ध अधिकारियों के पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के है। भू-प्रबन्ध अधिकारियों की सहायता हेतु राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 6 एवं राजस्थान तहसीलदार सेवा के 37 सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के पद स्वीकृत है। विभाग में 16 सदर मुन्सरिम, 178 निरीक्षक व 715 भू-मापकों के पद स्वीकृत हैं।

भू-प्रबन्ध विभाग में मुख्यालय स्तर पर वर्क स्टेशन एवं भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की हुई है। अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान के पदेन प्रभारी प्राचार्य है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान का बजट भी पृथक से आवंटित था, किन्तु दिनांक 01.03.2002 से उक्त वर्क स्टेशन एवं भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान मुख्य कार्यालय में समायोजित होने से अति0 भू-प्रबन्ध आयुक्त का पद नाम अति0 भू-प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन प्रधानाचार्य, भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान हो गया है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण हेतु एक राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी का पद भी इन्सट्रक्टर प्रशिक्षण देने हेतु स्वीकृत है।

भू-प्रबन्ध कार्यवाहियां :-

राज्य में भू-प्रबन्ध का कार्य तहसील क्षेत्र के ग्राम स्तर पर सम्पन्न कराया जाता है। राज्य में कुल 331 तहसीले है। वर्तमान में भू प्रबन्ध संक्रियाधीन 20 तहसीले अधिसूचित है। इन 20 तहसीलों में से 6 तहसीलो की भू-प्रबन्ध संक्रियाए बन्द घोषित करवाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुये है। शेष तहसीलो के अधिकांष ग्रामों का कार्य पूर्ण हो चुका है। व आंशिक ग्रामों का कार्य जैरकार चल रहा है। जिनकी कार्य स्थिति निम्नानुसार है:-

भू-प्रबन्ध संक्रियाधीन तहसीलों में कार्य की स्थिति का ब्यौरा
(सूचना संकलन दिनांक 31.12.18)

क्र. सं.	नाम भूप्रबन्ध अधिकारी पार्टी	जिला	तहसील	कुल ग्राम	क्लोंजिंग ग्राम	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर	दौसा	लालसोट रामगढ-पचवारा	323	100	221 ग्रामों में कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार एवं 100 ग्रामो का रिकार्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द एवं 2 ग्राम बन्द हेतु तैयार क्लोजिंग से शेष।
2.	अजमेर	अजमेर	किशनगढ़, अराई, रूपनगढ	177	-	175 ग्रामों में तरमीम/सर्वेक्षण कार्य पूर्ण है। शेष में कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार। 2 ग्राम सर्वे से शेष घनी आबादी के कारण। यथा स्थिति बन्द के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुये है।
3.	भरतपुर	भरतपुर	*बैर *भुसावर	162	160	160 ग्रामों का रिकार्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द। 2 ग्राम बदर के कारण जैरकार।
		भरतपुर	*रूपवास	164	159	157 ग्रामों का रिकॉर्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द। 5 ग्राम बदर के कारण जैरकार है।
		करौली	करौली	1	-	क्लोजिंग से शेष राज्य सरकार को बन्द का प्रस्ताव प्रेषित किया हुआ है।
4.	बीकानेर	बीकानेर	*लूनकरणसर	119	118	01 ग्राम में अभिलेखन कार्य जैरकार। एवं 118 ग्रामो का रिकार्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द।
			*बीकानेर	13 (12+1)	5	शेष 8 ग्रामों में कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार।
5.	सीकर	नागौर	डीडवाना	198	152	46 ग्रामों का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार है। इनमें से 5 ग्रामों के बन्द के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये हुये है।
			मकराना	137	-	24 ग्रामों में तरमीम/सर्वेक्षण पूर्ण, शेष ग्रामों में कार्य जैरकार। विड्रा हेतु प्रस्तावित।
6.	कोटा	बारां	किशनगंज	213	193	213 ग्रामों में सर्वे/तरमीम कार्य पूर्ण, 193 ग्राम बन्द घोषित एवं 20 ग्रामों का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार है।
7.	अलवर	अलवर	मुण्डावर	147	136	11 ग्रामो का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार है।
		अलवर	किशनगढ़बास	115	-	29 ग्रामो की मिसल बन्दोबस्त तैयार शेष 86 ग्रामों का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार है। यथा स्थिति बन्द के प्रस्ताव राज्य सरकार को पेरषित किये हुए है।
8.	टोंक	स0माधोपुर	खण्डार	134	-	85 ग्रामों में सर्वे/तरमीम कार्यवाही पूर्ण। कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार। 49 ग्रामों में सर्वे तरमीम शेष। विड्रा हेतु प्रस्तावित है।
		स0माधोपुर	*बौंली (मलारनाडूंगर)	180	179	एक ग्राम में अभिलेखन कार्यवाही चल रही है। 2 ग्राम मोरण एवं भेडोली पुनः सर्वे हेतु आवंटित जिसमें मोरण का पुनः सर्वे हो चुका है अभिलेखन कार्य जैरकार है। एवं ग्राम भेडोली पुनः सर्वे हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है।
9.	जोधपुर	सिराही	रेवदर			अभिलेखन कार्य शेष है।

नोट:- नक्षे मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तन हो चुके है।

वर्क स्टेशन :-

वर्क स्टेशन शाखा में डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन कार्यक्रम DILRMP योजनान्तर्गत चल रहे सर्वे/री-सर्वे कार्य में 12 जिलों का **GCN (Ground Control Network)** जिसमें **Iconic, Sub-iconic & Primary, Secondary, Tertiary, Auxiliary Control Points** की सॉफ्ट कॉपी जांच का कार्य किया गया है। उक्त अवधि में विभिन्न विभागों की मांग पर एवं सीमाज्ञान के कार्य हेतु विभिन्न ग्रामों के स्केन्ड राजस्व नक्षों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवायी गयी।

प्रशिक्षण :-

भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय जयपुर में राज्य में प्रशिक्षण एवं योग्यता अभिवर्द्धन कार्यक्रम के अंतर्गत अवधि 01.01.18 से 31.12.18 तक आधुनिक सर्वे यंत्रों ई0टी0एस0/डी.जी.पी.एस., जी.आई.एस एवं डिजिटाइजेशन जांच हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। उक्त अवधि में 10 आई.ए.एस., 4 आर.ए.एस, 29 नायब तहसीलदार, 3 भूमापक, 3019 पटवारी, डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन कार्यक्रम (DILRMP) को सुव्यवस्थित, सुचारू एवं त्वरित गति से सफलतापूर्वक संचालित किये जाने के उद्धेष्य से विभाग के समस्त अधिकारियो/कर्मचारियों को कार्यक्रम की महत्ता के संबंध में प्रशिक्षण कार्यशाला दिनांक 07.06.18 को कुल 465 अधिकारियो/कर्मचारियों को प्रषिक्षण दिया गया। इस अनुसार कुल 3,530 अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रषिक्षण दिया गया है।

आर.टी.आई. अपील :-

भू-प्रबन्ध आयुक्त कार्यालय में प्रथम अपील अवधि 01.1.18 से 31.12.18 तक कुल 18 अपील प्रकरण प्राप्त हुए है। जिनमें से 17 प्रकरणो का निस्तारण किया जा चुका है। 01 अपील प्रकरण निस्तारण से शेष है।

डिजिटल इण्डिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)

1. उद्देश्य :-

डिजिटल इण्डिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) राज्य के समस्त भू-अभिलेख को एक्यूरेट एवं रियल-टाईम कर कम्प्यूटराईज्ड प्रतियां आम जनता को सुलभ कराने के उद्देश्य से विचारित किया गया है। कार्यक्रम अभिलेख (textual) एवं नक्शा (spatial) भू-अभिलेख एवं राजस्व एवं पंजीयन प्रणाली के अर्न्तयुग्मन (integration) के द्वारा वर्तमान डीड प्रणाली (deed system) के स्थान पर कन्क्लुजीव टाईटलिंग (conclusive titling) की अभिशंषा करता है ताकि नागरिक अधिकार-अभिलेख की आदिनांकित प्रति एवं नक्शों की प्रति एकल खिड़की (single window) से प्राप्त कर सके।

इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वे/रीसर्वे की कार्यवाही की जा रही है। योजना के अन्य बिन्दु - लेण्ड रेकार्ड कम्प्यूटराईजेशन एवं मॉर्डन रेकार्ड रूम पर राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा तथा कम्प्यूटराईजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पर पंजियन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

2. (DILRMP) कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वे/रिसर्वे का कार्य :-

यह कार्य इस विभाग द्वारा सम्पादित किया जाना है। केन्द्र संचालित कार्यक्रम के तहत समस्त भू अभिलेख नये सिरे से तैयार किये जावेगें। कार्य की महत्ता तथा आवश्यकता को देखते हुये कार्य शीघ्र हो सके, इस हेतु यह निर्णय लिया गया है कि यह कार्य हाई रिजोल्यूशन सेटेलाईट इमेजरी (एच.आर.एस.आई.) के आधार पर किया जावेगा। आवश्यकता अनुसार मौके पर जाकर भी सत्यापन किया जावेंगा। सर्वे/रिसर्वे कार्य हेतु वर्तमान में निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर राज्य के 6 जोन के 11 जिलों यथा जयपुर, टोंक, झालावाड, भीलवाडा, बाडमेर, बासंवाडा, राजसमन्द, चुरू, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर एवं जोधपुर जिलो के तथा अजमेर जिलें की 4 तहसीलों (अजमेर, नसीराबाद, पुष्कर, पीसांगन) में वैण्डर्स का चयन कर कार्यादेश जारी किये जा चुके है। वैण्डर्स द्वारा उक्त जिलों में ग्राउण्ड कन्ट्रोल नेट वर्किग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत उक्त जिलों की तहसीलों में लगभग 12,285 ग्राउण्ड कन्ट्रोल पाईन्ट स्थापित किये गये है जिसका संबंधित भू-प्रबन्ध अधिकारी दलों द्वारा भौतिक सत्यापन कार्य किया जा चुका है। साथ ही वैण्डर्स द्वारा सैम्पल विलेज (सम्पूर्ण गतिविधियों सहित) का कार्य कर प्रस्तुत किये गये है जिनका परीक्षण विभागीय स्तर पर किया जा रहा है।

3. (DILRMP) कार्यक्रम की प्रस्तावित प्रक्रिया :-

- वर्तमान में जरीब के माध्यम से तरमीम सर्वेक्षण किया जा रहा है। DILRMP के तहत प्रत्येक 20 वर्ष के स्थान पर वन-टाईम सैटलमेन्ट की अवधारणा को साकार करने की दृष्टि से आधुनिक सर्वे प्रणालियों में से सर्वाधिक एक्यूरेसी वाली प्रणाली यथा एच.आर.एस.आई., के माध्यम से व डी.जी.पी.एस. एवं ई.टी.एस. आदि के सहयोग से सर्वे किया जाएगा। इससे खेतों एवं ग्रामों की सीमाओं में ओवरलेपिंग व गेप का स्थाई समाधान, तरमीम सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण, भूमि के क्षेत्रफल की वास्तविक गणना, सही मूल्याकंन, राजकीय योजनाओं के निर्माण, पंजीयन प्रक्रिया एवं भूमि अवाप्ति कार्यवाही आदि सुव्यवस्थित एवं निर्विवादित हो सकेगी। इसके अतिरिक्त पुराना रेकॉर्ड व्यवस्थित होकर सॉफ्ट डाटा में कन्वर्ट हो सकेगा। विभिन्न प्रकार की राजकीय भूमियों का चिन्हीकरण होकर तहसीलवार लैण्ड बैंक तैयार किये जा सकते हैं, जिससे भविष्य में गांव के मॉडल मास्टर प्लान बनाना सुलभ हो सकेगा तथा आवश्यतानुसार इसे ऑनलाईन भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
- DILRMP कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध विभाग में भी मॉडर्न रिकार्ड रूम स्थापित किये जाने की योजना में मुख्यालय स्थित ओल्ड रिकार्ड रूम एवं 09 अधीनस्थ कार्यालयों में लीगेसी रिकार्ड को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रखने हेतु इन कॉम्पेक्टर्स पी.डब्लू.डी. द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं।
- DILRMP कार्यक्रम के तहत् 2 प्रशिक्षण केन्द्र एस.टी.आई. जयपुर एवं आर.आर.टी.आई. अजमेर में स्थापित किये गये है। इन केन्द्रो पर राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियों को आधुनिक सर्वे प्रणालियों एवं आधुनिक मापन यंत्रो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- DILRMP कार्यक्रम के तहत बाह्य एजेन्सी द्वारा विभाग के सहयोग से **Primary, Secondary, Tertiary, Auxiliary Control Points** विभाग के सहयोग से कायम किये गये है। ऑनलाईन तहसीलों में सर्वे/रि-सर्वे की कार्यवाही की जावेगी।
- DILRMP के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण सोसायटी का गठन दिनांक 02.12.2011 को हो चुका है। जिसमें प्रमुख शासन सचिव/सचिव (राजस्व) को अध्यक्ष एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया गया है। सर्वे/रिसर्वे के अतिरिक्त DILRMP के अन्य कम्पोनेट की प्रगति निम्नानुसार है:-

1. सेग्रीगेशन

- राज्य के 33 जिलों की 331 तहसीलों के 47,910 ग्रामों में से 44,631 ग्रामों की चैक लिस्ट प्रिन्ट की जा चुकी है तथा 43,358 ग्रामों की चैकलिस्टों की पटवारी द्वारा जांच की जा चुकी है। 12,809 ग्रामों की पी-28 लगाये जा चुके हैं।

2. तहसील कम्प्यूटर सेन्टर

- राज्य की समस्त तहसीलों में कम्प्यूटर सेन्टर स्थापित।

3. डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप

- राज्य के 33 जिलों के लिये कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं।
- 1,35,000 नक्शा शीटों में से 1,22,391 शीटें स्केन कर डिजिटाईज्ड की जा चुकी है, 69,396 शीटों में तरमीम की जाकर फर्म को उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। 26,100 शीटों का फाईनल डिजिटाइज्ड प्रिन्ट हो चुका है, जिसे ई-धरती से लिंक करने हेतु एनआईसी को दिया जा चुका है।

4. कनेक्टिविटी

राज्य की 331 तहसीलों में से 278 तहसीलों में Rswan की सेवा उपलब्ध है तथा शेष तहसीलों के लिए मंडल द्वारा कनेक्ट करने की कार्यवाही RISL के माध्यम से करवाई जा रही है। राज्य के 527 उप पंजीयक कार्यालयों में से 279 उप पंजीयक कार्यालयों में Rswan की सेवा उपलब्ध है तथा शेष 248 उप पंजीयक कार्यालयों में कनेक्टिविटी हेतु RISL के द्वारा दिनांक 16.10.17 को मैसर्स वोडाफोन मोबाईल सर्विसेज लि. को कार्यादेश जारी किये गये है।

5. इन्टीग्रेशन

- राज्य की 331 तहसीलों में से 68 तहसीलों की ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण।

ऑनलाईन तहसीलों की सूचीः-

क्र.सं.	जिला	ऑनलाईन तहसीलें
1.	अजमेर	1. पुष्कर 2. सावर 3. टाटगढ़ 4. टाटोटी 5. विजयनगर
2.	अलवर	1. अलवर 2. राजगढ़ 3. गोविन्दगढ़ 4. रामगढ़
3.	बांसवाड़ा	1. घाटोल

		2.	बागीदौरा
		3.	गागडतलाई
		4.	आनन्दपुरी
		5.	गनोडा
		6.	अम्बापुरा
		7.	गढ़ी
4.	बारां	1.	बारां
5.	बाडमेर	1.	सिवाना
6.	भरतपुर	1.	भरतपुर
		2.	नदबई
7.	भीलवाड़ा	1.	बदनौर
8.	बीकानेर	1.	डूंगरगढ़
9.	बूंदी	1.	ईन्दरगढ़
10.	चित्तौड़गढ़	1.	कपासन
11.	चुरू	1.	चुरू
		2.	राजगढ़
		3.	बीदासर
		4.	रतनगढ़
		5.	सुजानगढ़
12.	दौसा	1.	बसवा
13.	धौलपुर	1.	बसैडी
		2.	सरमथुरा
14.	डूंगरपुर	1.	सागवाडा
		2.	गलियाकोट
		3.	आसपुर
15.	श्रीगंगानगर	1.	अनुपगढ़
16.	हनुमानगढ़	1.	रावतसर
17.	जयपुर	1.	चौमूं
18.	जैसलमेर	1.	जैसलमेर
19.	जालौर	1.	बागोडा
20.	झालावाड़	1.	असनावर
21.	झुन्झुनूं	1.	झुन्झुनूं
		2.	मलसीसर
		3.	चिडावा
		4.	सूरजगढ़
		5.	खेतड़ी
		6.	भूआना
		7.	उदयपुरवाटी
		8.	बुहाना
22.	जोधपुर	1.	पीपाड़ शहर
23.	करौली	1.	हिण्डौन
24.	कोटा	1.	रामगंजमण्डी
25.	नागौर	1.	नावां
		2.	परबतसर
		3.	कुचामनसिटी
26.	पाली	1.	देसूरी

27.	प्रतापगढ़	1.	प्रतापगढ़
28.	राजसमन्द	1.	आमेट
29.	सवाई माधोपुर	1.	गंगापुर सिटी
30.	सीकर	1. 2. 3. 4. 5. 6.	रामगढ़ शेखावाटी श्रीमाधोपुर खण्डेला फतेहपुर सीकर नीमकाथाना
31.	टोंक	1.	उनियारा
32.	उदयपुर	1. 2.	गिर्वा सेमारी

- SRSAC जोधपुर के द्वारा डिजिटल नक्शों को मोजाईक व जियोरेफरेन्स कर सेटेलाईट ईमेजरी पर सुपर इम्पोज किया जा रहा है।

6. मॉडर्न रिकार्ड रूम

- राज्य की कुल 314 तहसीलों में से 254 के कार्यादेश जारी।
- 204 तहसीलों में कार्य प्रगति पर एवं 50 तहसीलों में कार्य पूर्ण।

7. कम्प्यूटराईजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन

- राज्य में 527 उप पंजीयक कार्यालयों में से 518 उप पंजीयक कार्यालयों में ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंजीयन प्रक्रिया प्रारम्भ।
- सितम्बर, 2015 से आदिनांक पंजीयन दस्तावेजों का स्केन कार्य प्रगति पर है। पंजीयन के बाद स्वतः ही नामान्तरकरण (Automatic Mutation) प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय भू-संसाधन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 13014/4/2007-LPD दिनांक 02.08.11 द्वारा DILRMP के तहत् सोसायटी के गठन के सम्बन्ध में गाईड लाईन जारी की गई। जिसके अन्तर्गत ''राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण सोसायटी'' का गठन दिनांक 02.12.11 को हुआ है। सोसायटी में निम्नलिखित पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है।

1. कन्सलटेन्ट - 2
2. प्रोग्रामर - 1
3. लेखाकार - 1
4. सहायक - 1
5. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर - 1
6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - 1

अपीलों का निस्तारण :-

1. जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी एवं भू-प्रबन्ध अधिकारीगण के निर्णय के विरूद्ध प्राप्त अपीलें व मा0 राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर से रिमाण्ड होकर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरणों का निस्तारण हेतु प्राप्त प्रकरणों की स्थिति 01 जनवरी, 2018 में अपील प्रकरण 30 विचाराधीन थे। जिनमें से दिनांक 31.12.18 तक कोई भी प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है । एवं 01 नया प्रकरण प्राप्त हुआ है । 31 अपील प्रकरण शेष है।
2. 01 जनवरी, 2018 में रेफरेन्स प्रकरण 24 विचाराधीन थे। दिनांक 31.12.18 तक कोई भी नया प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। 24 रेफरेन्स प्रकरण शेष है। जिनमें प्रत्येंक सोमवार एवं मंगलवार को सुनवाई की जाती है।

अनुशासनात्मक कार्यवाही :-

विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रकरण गत वर्ष में सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत 14 प्रकरण शेष थे। जिनमें से 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 में 10 प्रकरण नये प्राप्त हुए इस प्रकार कुल 24 प्रकरणो में से 01 प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में 23 प्रकरण शेष है। सीसीए नियम-17 के अन्तर्गत गत वर्ष के 02 प्रकरण शेष थे । 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक 04 प्रकरण नये प्राप्त हुए इस प्रकार कुल 06 प्रकरणों में से 03 प्रकरण निस्तारित हो चुके है वर्तमान में 3 प्रकरण शेष है। भ्रष्टाचार एवं गंभीर अनियमितता के मामले में विभाग का 01 कर्मचारी निलम्बित चल रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभाग को दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 में कुल 407 आवेदन पत्र प्राप्त हुये है, जिनमे से 396 का निस्ताण किया जा चुका है। 11 आवेदन पत्र शेष है।

ओल्ड रिकार्ड शाखा :-

विभाग की ओल्ड रिकार्ड में काश्तकारों द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.01.18 से 31.12.18 तक कुल 6,547 आवेदन पत्र प्राप्त हुऐ जिनमे से 6,538 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। 09 आवेदन पत्र शेष है।

समीक्षाधीन वर्ष में ओल्ड रिकार्ड में कुल 242 प्रार्थना पत्र अभिलेख अवलोकन के प्राप्त हुये है जिनका निस्तारण किया जा चुका है।

विभागीय पदोन्नतियां वर्ष 2018-19

क्र. सं.	नाम पदोन्नत पद	पदोन्नति हेतु की गई कार्यवाही
1	2	3
1.	अति.प्र0अधिकारी से प्रशा0अधिकारी	वर्ष 2018-19 की पदोन्नति हो चुकी है।
2.	सहा0प्र0अधिकारी से अति.प्र.अधिकारी (का.अ.)	वर्ष 2018-19 की पदोन्नति हो चुकी है।
3.	वरिष्ठ सहायक से सहा0प्र0 अधिकारी (का.सहा.)	वर्ष 2018-19 की पदोन्नति की जा चुकी है।
4.	क0सहा0 से व0सहा0 (व.लि.)	वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की पदोन्नति की जा चुकी है। वर्ष 2018-19 की पदोन्नति की जानी है। समिति की बैठक आचार संहिता के बाद की जानी है।
5.	व0निजी सहायक से निजी सचिव	पद रिक्त नही है।
6.	निजी सहायक से व0 निजी सहायक	पात्र कार्मिक उपलब्ध नही है।
7.	स्टेनो से निजी सहायक	पद रिक्त नही है।
8.	निरीक्षक से सदर मुन्सरिम	वर्ष 2018-19 की पदौन्नति हो चुकी है।
9.	भूमापक से निरीक्षक	वर्ष 2018-19 की पदौन्नति की जा चुकी है।
10.	क0प्रारूपकार से व0 प्रारूपकार	वर्ष 2018-19 की पदौन्नति हो चुकी है।
11.	अनुरेखक से क0 प्रारूपकार	पात्र कार्मिक उपलब्ध नही है।
12.	च0श्रै0कर्म0 से क0 सहायक (क0लि0)	पद रिक्त नही है।
13.	च0श्रै0कर्म0 से वाहन चालक	पद रिक्त नही है।
14.	च0श्रै0कर्म0 से जमादार	वर्ष 2018-19 की पदौन्नति की जा चुंकी है।

भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान,जयपुर
वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान व व्यय का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष मय उपमद्	स्वीकृत प्रावधान 2018-19	व्यय का विवरण (01.04.2018 से 31.12.2018)	विशेष विवरण
1-	मांग संख्या-8 2029-भू-राजस्व, 102-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य, (01)-प्रधान कार्यालय (प्रतिबद्ध)			
	01-संवेतन	640.00	445.10	
	03-यात्राव्यय	2.00	1.96	
	04-चिकित्सा व्यय	3.00	1.83	
	05-कार्यालय व्यय (नवीन व्यय)	35.00	20.45	
	06- वाहनों का क्रय	0.01	-	
	07- कार्यालय वाहनो का संचालन एवं संधारण	1.20	0.88	
	21 अनुरक्षण एवं मरम्मत	3.00	0.41	
	29-प्रशिक्षण,भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	3.50	3.49	
	32-डिक्रीकर (प्रभृत)	0.01	-	
	36-वाहन किराया	0.01	-	
	37-वर्दीयां तथा अन्य सुविधाऐं	0.33	0.29	
	41-संविदा सेवाएं	5.50	3.97	
	62- कम्प्यूटराईजेंशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	0.01	-	
	योगः- दत्तमत **प्रभृत**	**693.56** **0.01**	**478.38** **-**	
2-	(02)-जिला कर्मचारी (प्रतिबद्ध)			
	01-संवेतन	5195.00	3118.14	
	02-मजदूरी	5.00	0.90	
	03-यात्रा व्यय	35.00	34.52	
	04-चिकित्सा व्यय	35.00	15.64	
	05-कार्यालय व्यय	62.00	25.75	
	09-किराया रेट और कर/रॉयल्टी	11.55	8.06	
	18-मशीनरी और साज सामान	0.01	-	
	21-अनुरक्षण एवं मरम्मत	30.00	4.64	
	36-वाहन किराया	28.00	18.60	
	37-वर्दीयां तथा अन्य सुविधाऐं	1.03	0.70	
	39-मुद्रण व्यय	3.40	1.04	
	41-संविदा व्यय	0.01	-	
	62-कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्सम्बंधी संचार व्यय	0.01	-	
	योगः- दत्तमत	**5406.01**	**3227.99**	

स्वीकृत प्रावधान 2018-19

व्यय का विवरण

क्र.सं.	बजट शीर्ष मय उपमद्	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	(01.04.2018 से 31.12.2018)
3-	2029-भू-राजस्व, 103-भू-अभिलेख, (04)-भू-अभिलेख सुधार योजना (भू प्रबन्ध आयुक्त के अभिकरण से) [02]-भू प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)				
	12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	-	0.01	0.01	-
	18-मशीनरी साज सामान औजार एवं संयंत्र	-	0.01	0.01	-
	40-अनुसंधान, मुल्याकंन एवं सर्वेक्षण व्यय	0.01	0.01	0.02	-
	62-कम्प्यूटराईजेशन एंव तत्सम्बन्धी संचार व्यय	-	0.01	0.01	-
	92- सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	-	0.01	0.01	-
	योग:-	**0.01**	**0.05**	**0.06**	**-**
4-	2029 भू-राजस्व 103 भू-अभिलेख (09)- वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला (01)- वैश्विक सूचना प्रणाली				
	18-मशीनरी साज सामान (औजार एवं संयंत्र)	113500	-	113500	-
	40-अनुसंधान, मुल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	0.01	-	0.01	-
	62-कम्प्यूटराईजेशन एंव तत्सम्बन्धी संचार व्यय	34.99	-	34.99	-
	योग	**1170.00**	**-**	**1170.00**	**-**
5-	2029 भू-राजस्व 789 अनुसूचित जातियो के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से ख्01, भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)				
	18-मशीनरी साज सामान (औजार एवं संयंत्र)	-	0.01	0.01	-
	40-अनुसंधान, मुल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	-	0.01	0.01	-
	योग :-	**-**	**0.02**	**0.02**	**-**
6-	2029 भू-राजस्व 796 जन जाति क्षेत्र उपयोजना (01) आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से [01] भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)				
	18-मशीनरी साज सामान (औजार एवं संयंत्र)	-	0.01	0.01	-
	40-अनुसंधान, मुल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	-	0.01	0.01	-
	62-कम्प्यूटराईजेशन एंव तत्सम्बन्धी संचार व्यय	-	0.01	0.01	-
	योग :-	**-**	**0.03**	**0.03**	**-**

(राशि लाखो में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष मय उपमद	स्वीकृत प्रावधान 2018-19	व्यय का विवरण 01.4.18 से 31.12.18 तक	विशेष विवरण
7-	बजट शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य, 80-सामान्य, 053-रख रखाव व मरम्मत 23- भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से (प्रतिबद्ध)			
	21 अनुरक्षण एवं मरम्मत	36.00	-	-
	योगः-	**36.00**	**-**	**-**
8-	बजट शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय 80 सामान्य 051 निर्माण 052 सामान्य भवन			
	17 वृद्वद् निर्माण (आयोजना)	63.72	01.56	-
	योगः-	**63.72**	**01.56**	**-**

परिशिष्ट 'अ'

भू-प्रबन्ध विभाग संगठन का ढांचा

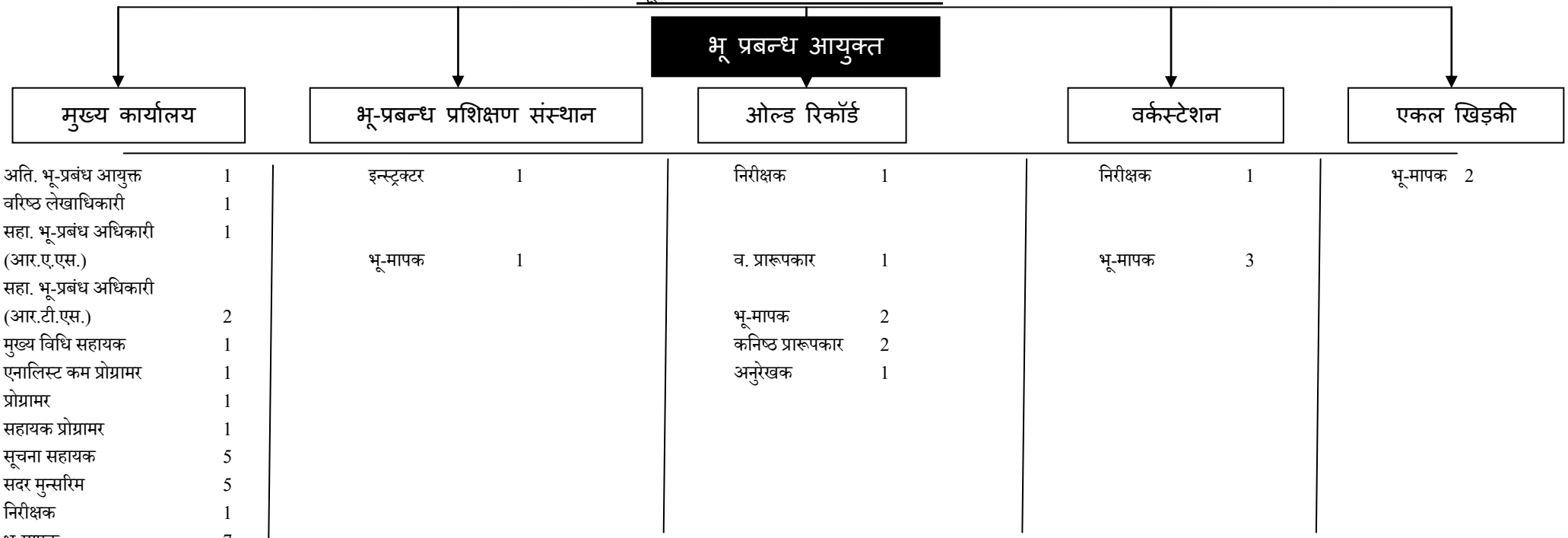

क्र.सं.	भू-प्रबन्ध अधिकारी पार्ट	भू-प्रबन्ध अधिकारी	सहा. भू-प्रबंध अधिकारी आर.ए.एस.	सहा. भू-प्रबंध अधिकारी आर.टी.एस.	सदर मुन्सरिम	निरीक्षक	भू-मापक
1.	जयपुर	1	2	3	1	25	100
2.	भरतपुर	1	-	4	1	15	60
3.	अजमेर	1	-	3	1	14	60
4.	बीकानेर	1	1	3	1	15	60
5.	अलवर	1	-	4	1	17	62
6.	कोटा	1	-	3	1	15	60
7.	सीकर	1	-	4	1	15	60
8.	जोधपुर	1	1	2	1	15	59
9.	उदयपुर	1	1	2	1	15	60
10.	टोंक	1	-	3	1	15	60
11.	भीलवाड़ा	1	-	3	1	14	59
	योग :-	**11**	**5**	**34**	**11**	**175**	**700**

गत तीन वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धि का तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

क्र.सं.	आईटम	यूनिट	लक्ष्य वर्ष 01.01.15 से 31.12.15	उपलब्धियां 01.01.15 से 31.12.15	लक्ष्य वर्ष 01.01.16 से 31.12.16	उपलब्धियां 01.01.16 से 31.12.16	लक्ष्य वर्ष 01.01.17 से 31.12.17	उपलब्धियां 01.01.17 से 31.12.17	लक्ष्य वर्ष 01.01.18 से 30.11.18	उपलब्धियां 01.01.18 से 30.11.18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सर्वेक्षण	व.कि.मी.	449.48	213.81	300	156.29	104.04	-	-	-
2.	तरमीम सर्वे	व.कि.मी.	2986.58	1503.43	1930.99	268.34	143.54	1.39	-	2200 ख.न.
3.	रकबा बरारी कार्य	ख.न.	330512	93210	262449	41631	94438	47802	19335	5535
4.	मिलान क्षैत्रफल सर्वे	ख.न.	100292	33915	84727	6030	75361	18971	17708	10890
5.	मिलान क्षैत्रफल तरमीम	ख.न.	224201	133649	173154	89632	26590	12142	3957	4120
6.	अभिलेखन	ख.न.	265894	119086	244568	112832	106238	43797	18904	27816
7.	भूमि वर्गीकरण कार्य	ख.न.	279578	82402	255308	79591	80876	30230	30729	32468
8.	तरतीब कार्य	ख.न.	186281	121952	109889	85026	68397	27339	16518	24819 तथा 5120 खाते
9.	तैयारी पर्चा खतौनी	ख.न.	258970	126639	240871	78529	89888	28373	11721	29877 तथा 900 खाते
10.	पर्चा खतौनी तस्दीक	ख.न.	258970	126639	240871	78529	89638	40629	11721	26707 तथा 4637 खाते
11.	तैयारी मिसल बंदोबस्त	नामा.स.	118300	102966	103978	66148	99663	46793	32472	52644
12.	ट्रेस तैयारी	ख.नं.	31795	1968	30517	72181	29064	29299	66392	18841

उपलब्धियों में कमी के कारण :-

1. पटवार तरमीम अप्राप्त, राजस्व विभाग की त्रुटियों एवं बदरों का निस्तारण नही होना एवं आदिनांक सेग्रीगेटेड राजस्व जमाबंदी अप्राप्त होना।
2. मतदाता सूची, बी.एल.ओ. कार्य में स्टाफ कार्यरत होना व सीमाज्ञान में राजस्व विभाग को तकनीकी सहयोग में स्टाफ उपलब्ध करवाना।
3. आर.टी.एस एवं पटवारीगण को प्रशिक्षण में स्टाफ कार्यरत होना।
4. भूमापकों के पद रिक्त होना।
5. डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत जिला कलक्टर, एस.डी.ओ., तहसील कार्यालयों में राजस्व एजेन्सी के साथ तरमीम इत्यादि में कार्मिकों का कार्यरत रहना।
6. डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत कम्पनीयों द्वारा निर्मित जी.सी.पी. का भौतिक सत्यापन एवं सर्वे/रि-सर्वे के कार्यो में कार्मिकों का कार्यरत होना।
7. संक्रियाधीन तहसीलों के यथास्थिति बंद घोषित होने के कारण।

सार -संक्षेप (EXECUTIVE SUMMARY)

सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख तैयार करने में भू प्रबंध विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भू-प्रबन्ध विभाग पारम्परिक पद्वति से सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्य हेतु विशेषज्ञ एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। सर्वेक्षण एवं अभिलेखन कार्य के सम्पादन हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, राजस्थान भू-राजस्व (सर्वे,अभिलेख तथा बन्दोबस्त) (सरकारी) नियम-1957 एवं सुसंगत नियमों में प्रावधान निहित है। भू-प्रबन्ध विभाग तकनीकी कार्य के अन्तर्गत राजस्व एजेन्सी द्वारा जटिल प्रकरणों (सीमाज्ञान) में भू-प्रबन्ध विभाग से तकनीकी सहयोग की मांग किये जाने पर राजस्व एजेन्सी को तकनीकी सहयोग उपलब्ध करा जटिल प्रकरणों का निस्तारण पारम्परिक पद्धति एवं आधुनिक पद्धतियो से कर रहा है।

वर्तमान में विभाग पारम्परिक पद्धति से आधुनिक तकनीक की ओर बढ रहा है। इस हेतु DILRMP के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि से आधुनिक तकनीक के माध्यम से राज्य के 11 जिले क्रमश: टोक. भीलवाडा, झालावाड, बाडमेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर, राजसमन्द, जोधपुर, बासंवाडा एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी राशि से अजमेर जिले की 4 तहसीले अजमेर, पुष्कर, पिसांगन व नसीराबाद में सर्वे कार्य करवाया जा रहा है। भू-प्रबन्ध प्रषिक्षण संस्थान में STI के मार्फत ट्रेनिंग दी जाकर कार्मिको को आधुनिक तकनीक से होने वाली सर्वे पद्धति से दक्ष किया जा रहा है।

DILRMP के आधुनिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण एवं अभिलेखन से आमजन/ कृषको को भू-अभिलेख आदिनांकित होकर एकल खिडकी पर उपलब्ध हो सकेगा। इस पद्धति से किया गया सर्वेक्षण/नक्शें धरातलिय विशिष्टियों का वास्तविक प्रतिबिम्ब होगा एवं भू-अभिलेख भू-स्वामित्व का सही चित्रण करने वाला होगा।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जागीर एवं खुदकाश्त आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

भू-प्रबन्ध आयुक्त पदेन तौर पर जागीर आयुक्त है। इनकी सहायता के लिए अति0 भू-प्रबन्ध आयुक्त पदेन अति0 जागीर आयुक्त का पद स्वीकृत है। मुख्यालय पर दो वरिष्ठ लिपिक है, एक कनिष्ठ लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है । जिले में जागीर सम्बन्धी कार्य जिलाधीश (जागीर) देखते है एवं जिलाधीश अपने स्टाफ से ही जागीर सम्बन्धी कार्य लेते है।

जागीर पुर्नग्रहण सम्बन्धी कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :

1. मुआवजे दावे से सम्बन्धित प्रकरण		03
	निर्णित -	
	कुल शेष	03
2. निजी सम्पति से सम्बन्धित प्रकरण		16
	निर्णित	00
	कुल शेष	16
3. खुदकाश्त भूमि आवंटन सेसम्बन्धित प्रकरण कुल		49
	निर्णित	03
	कुल शेष	46
4. उत्तराधिकारी नियुक्त केसेज		20
5. मुआवजे के रूप में भूतपूर्व जागीरदारो को बोण्डस के पेटे भुगतान करना शेष		रू. 19,75,990.19

राजस्थान जमीदारी विश्वेदारी उन्मुलन अधिनियम वर्ष 1959 के अन्तर्गत जिला गंगानगर के कार्य सम्पादित करने हेतु उप जिलाधीश (जागीर) का अलगपद स्वीकृत था किन्तु सन् 1984 से उक्त पद समाप्त कर दिया गया तथा कार्य सम्पादन करने हेतु सरकार का स्थगन आदेश है।